न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
262 / 2014	28 / 05 / 2014	29 / 10 / 2025

रामप्रसाद पुत्री बजरंगलाल जाति मीणा नि0 विजयपुरा हाल मुकाम अयाना जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. रामबिलास पुत्र बजरंगलाल
2. गिरीराज पुत्र बजरंगलाल
3. जगदीश पुत्र बजरंगलाल
4. बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल
5. द्वारक्या बाई पुत्री बजरंगलाल
6. बादाम बाई पुत्री बजरंगलाल
7. मनोज कुमार ना. वा. पुत्र राजेन्द्र जरिये क्ली माता चन्द्रकलाउ बेवा राजेन्द्र जाति मीणा निवासी विजयपुरा
8. मनीष ना.वा. पुत्र राजेन्द्र जरिये क्ली माता चन्द्रकलाउ बेवा राजेन्द्र जाति मीणा निवासी विजयपुरा
9. चन्द्रकला बेवा राजेन्द्र जाति मीणा नि. विजयपुर तहसील पीपल्दा

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नवनीत कुमार जैन एड0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट बाबत रिसीवरी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माटोली पटवार क्षेत्र अयाना भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित खेवट खातौनी सं. नई 24 पुरानी 15 में ख.नं. 107 रकबा 0.12 है. ख0नं0 217 रकबा 1.25हे0, ख.नं. 221 रकबा 0.08है0, ख.नं. 227 रकबा 0.22 है० ख. नं. 289 रकबा 1.91 है0, ख.नं. 293 / 2 रकबा 0.89है०, ख.नं. 430 / 5 रकबा 0. 95है0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.53है0, भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी का 1 / 8 हिस्सा व अप्रार्थी कम 1 ता 9 का 7 / 8 हिस्सा नियत है, प्रार्थी पत्र के साथ हाल जमाबन्दी सं0 2069–2072 सलंग्न है। प्रार्थी एवं आार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार

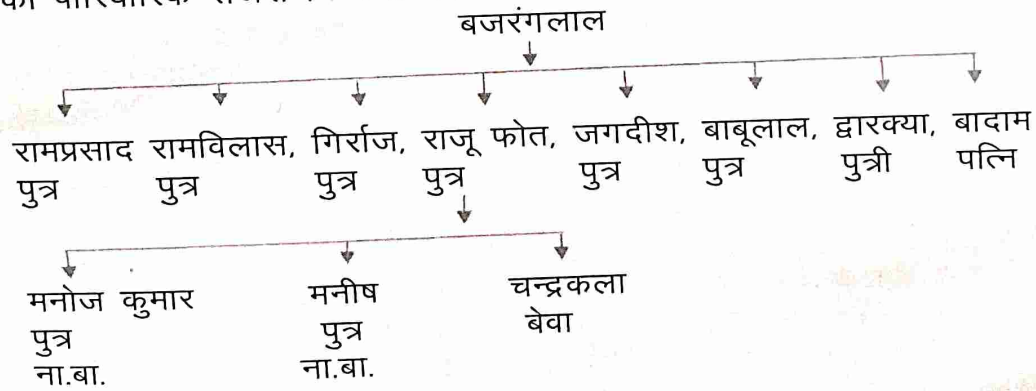

प्रार्थना पत्र में वर्णित कुल किता 8 रकबा 5.53 है0, भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है, पार्थी एवंअप्रार्थीगण कम 1 लगायत 9 का उनके पिता की मौजूदगी में 1/6, 1/6 हिस्से के अनुसार पारिवारिक विभाजन हो चुका है, उसी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 हिस्से मुताबिक कृषि काश्त करते चले आ रहे है। उक्त संपत्ति का विभाजन करवाना लाजिम था. क्योंकि संयुक्त खाते की उक्त संपत्ति के प्रत्येक खातेदार को राजस्व कर, एवं भू–सुधार व अन्य के.सी. सी. ट्यूबवेल, सहकारी ऋण आदि में परेशानी होती है इसलिए विभाजन के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 9 को कई मर्तबा सहमति से करवाने हेतु कहा लेकिन अप्राथी कम 1 लगायत91 हां–हूँ कहते रहे और अंत में जाकर दिनांक 22–12–2013 को इंकार करने के कारण प्रार्थी को वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। उक्त संयुक्त खाते की कृषि आराजी अप्रार्थी कम 1 लगायत91 पूर्व, पारिवारिक विभाजन में जो मेडबंधी की गई थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, अनुसूचित जनजाति में पैतृक सम्पत्ति पर महिला सदस्यों को उक्त संपत्ति में कोई हक, अधिकार नहीं बनता है कि अनुसूचित जनजाति मीणा पुराने हिन्दू लॉ से गर्वन है, नये हिन्दू लॉ मीणा जाति पर लागू नहीं है, इसलिए अप्रार्थी कम 5 व 6 को कोई हक उक्त सम्पत्ति में नहीं बनता है, इसलिए उक्त संपत्ति में अप्रार्थी क्रम 5 व 6 का नाम डिलीट किया जाये क्योंकि पारिवारिक बंटवारे में भी अप्रार्थी कम 5 व 6 को मौके पर कोई बंटवारा मुताबिक हिस्सा नही दिया गया है, अप्रार्थी कम 5 व 6 शादी शुदा है, जो अभी वर्तमान से ससुराल में निवास कर रही है समाज की रीति रिवाज मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 व 7 लगायत 9 द्वारा भी रस्म अदा कर चुके है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है, तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है। जिस द्रव्य में मूल्यांकन किया जाना असंभव है। पार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एव विरूद्ध अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के पारिवारिक बंटवारे मुताबिक हिस्से कब्जे काश्त की आराजी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से ऐसा कृत्य कारित करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 3 व 5 ता 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी कम 4 की ओर से श्री नवनीत जैन एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 4 की ओर से जवाब पेश नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम माटोली पटवार क्षेत्र अयाना भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित खेवट खातौनी सं. नई 24 पुरानी 15 में ख.नं. 107 रकबा 0.12 है. ख0नं0 217 रकबा 1.25हे0, ख.नं. 221 रकबा 0.08है0, ख. नं. 227 रकबा 0.22 है० ख.नं. 289 रकबा 1.91 है0, ख.नं. 293/2 रकबा 0. 89है०, ख.नं. 430/5 रकबा 0.95है0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.53है0, भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 ता 9 राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदार दर्ज है। प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। विभाजन के दावे के लम्बित रहने के दौरान विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने (अतंरण, विकय, रहन, दान) इत्यादि से उभयपक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। जिससे वादो की बहुलता तथा जटिलता से प्रार्थी को जूझना पडेगा। अतः सुविधा

संतुलन भी आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति होने की संभावना तथा सुविधा संतुलन आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम माटोली पटवार क्षेत्र अयाना भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा में स्थित खेवट खातौनी सं. नई 24 पुरानी 15 में ख.नं. 107 रकबा 0.12 है. ख0नं0 217 रकबा 1.25हे0, ख.नं. 221 रकबा 0.08है0, ख.नं. 227 रकबा 0.22 है० ख.नं. 289 रकबा 1.91 है0, ख.नं. 293/2 रकबा 0.89है०, ख.नं. 430/5 रकबा 0.95है0, कुल किता 8 कुल रकबा 5.53है0, भूमि में उभयपक्ष मौके व रिकॉर्ड की स्थित बनाए रखे तथा विवादित आरजी को रहन, बैचान, दान इत्यादि नहीं करे व न ही एक दूसरे के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नही करे न ही किसी भी प्रतिनिधि से कराए। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रभावी रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा